न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री कुलदीप सिंह शेखावत (आर.ए.एस.)

जीएसएम.नं. 2024 / 121
मुकदमा नम्बर 26 / 2024 दायर दिनांक–06.03.2025

1. पुष्पकरलाल पुत्र ओंकारमल जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 22 लीलगरों का मोहल्ला कस्बा मुकुन्दगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनूं
2. सुरेश कुमार पुत्र बद्रीप्रसाद जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 22 लीलगरों का मोहल्ला कस्बा मुकुन्दगढ़, तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

............आवेदकगण

बनाम

1. श्रीमती हाजनइदी पत्नी स्व. हाजी अब्दुल रजाक (मृत)
   1 / 1 बाबु हाजी
   1 / 2 लुकमान हाजी
   1 / 3 इमामुदीन हाजी
   1 / 4 समसू
   1 / 5 इकराम
   1 / 6 तसलीम समस्त पुत्रगण स्व. हाजी अब्दुल रजाक जाति तेली निवासी अगूणा मोहल्ला लीलगरों की मस्जिद के पास, वार्ड नं. 20 नया, कस्बा मुकुन्दगढ़ जिला झुझुंनू
2. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़
3. नायब तहसीलदार मुकुन्दगढ़
4. पटवारी हल्का मुकुन्दगढ़
5. अधिशांषी अधिकारी, नगर पालिका मण्डल मुकुन्दगढ, जिला झुझुंनू

..........अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अं. धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वकील आवेदक–श्री नरेन्द्र चेजारा
अनावेदक सं. 1 / 1 लगा. 1 / 6 – एक पक्षीय
अनावेदक सं. 2 लगा. 4 :– पैरो. राज.
अनावेदक सं. 5– श्री बाबूलाल वर्मा

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

:–निर्णय–:

दिनांकः–13 / 10 / 2025

यह प्रा0 पत्र आवेदकगण द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955 को इस कदर पेश किया गया कि, कस्बा मुकुन्दगढ तहसील नवलगढ की तन मे खाता सं. नया 93 व खाता सं. पुराना 246 की काश्त भूमि खसरा नं. 675 रकबा 0.55 है0 के संलग्न काश्त भूमि खसरा नं. 674 की उत्तरी भुजा से सटकर 7 मीटर चौडा रास्ता जो प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नं. 675 को मुकुन्दगढ–झुझुंनू सडके खसरा नं. 956 / 690 को जोडता हो प्रा. पत्र के संलग्न नक्शे अनुसार कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज किया जावे। प्रा. पत्र पेश होने पर तलबी अनावेदकगण की जारी की गई। अनावेदक सं. 1 / 1 लगा. 1 / 6 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर इस प्रकरण में इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। आनावेदक सं. 2 लगा. 4 की और से पैरो. राज. उपस्थित हो किसी प्रकार का उजर एतरज व्यक्त नही किया। अनावेदक सं. 5 की और से वकील श्री बाबूलाल उपस्थित परन्तु जवाब पेश नही किया, इसलिये इनका जवाब बन्द किया जाता है।

प्रकरण में तहसीलदार नवलगढ से रिपोर्ट क्रमांक / राजस्व / 24 / 372 दिनांक 28.05. 2024 पेश हुई। जिसके अनुसार आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते की दूरी बिन्दू सं. ए से बी 10 मीटर,बिन्दू सं. सी से डी 2 मीटर, रास्ते की चौडाई 7 मीटर कुल 42 वर्ग मीटर रास्ते की बनती है।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आवेदक को अपनी कृषि जोत तक पहुॅचने के लिये रास्ते की परमआवश्यक्ता है तथा पूर्व में भी इसी रास्ते से आता जाता रहा है, उसके पास अपनी जोत तक आने जाने के लिये अन्य कोई विकल्प नही है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कस्बा मुकुन्दगढ तहसील नवलगढ की तन मे खाता सं. नया 93 व खाता सं. पुराना 246 की काश्त भूमि खसरा नं. 675 रकबा 0.55 है0 के संलग्न काश्त भूमि खसरा नं. 674 की उत्तरी भुजा से सटकर, जो प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नं. 675 को मुकुन्दगढ–झुझुंनू सडके खसरा नं. 956 / 690 को जोडता हो, मुताबिक तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट क्रमांक / राजस्व / 24 / 372 दिनांक 28.05.2024 व उसके साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार बिन्दू सं. ए से बी 10 मीटर,बिन्दू सं. सी से डी 2 मीटर, रास्ते की चौडाई 7 मीटर कुल 42 वर्ग मीटर भूमि को गै.मु. सिवायचक रास्ता मौके पर कायम किये जाने तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। रास्ते मे जाने वाली भूमि के बदले में उतनी ही भूमि यानि 42 वर्ग मीटर, खसरा नं. 675 से कम करके समायोजित कर दी जावे। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड, मौके पर व खातेदारी दर्ज रिकार्ड किये जाने आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक / राजस्व / 24 / 372 दिनांक 28.05.2024 मय नजरी नक्शा उक्त आदेश का भाग होगी।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

तहसीलदार नवलगढ, को आदेशित किया जाता है कि, मुताबिक आदेश मौके पर रास्ता कायम करवाया जाकर, राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 सिवायचक रास्ता दर्ज कर दिया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 13/10/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुलदीप सिंह शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ ,जिला–झुंझुंनू